

भारत भवन

ज.स्वामीनाथन मार्ग, शामला हिल्स, भोपाल

वाहनों की दरें आमंत्रित

भारत भवन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए किराये पर लिए जाने हेतु विभिन्न वाहनों (टाटा इंडिका, टवेरा, स्कार्पियो, इनोवा, इंडिगो, स्विफ्ट, सफारी, बसें आदि) की आगामी दो वर्षों के लिए मान्य करने हेतु दरें आमंत्रित हैं। दरें प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन दिनांक से 15.12.2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में भारत भवन कार्यालय में निर्धारित मूल्य रु. 500/- (वापसी योग्य नहीं) नगद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र भारत भवन की वेबसाइट www.bharatbhawan.org से भी डाउनलोड किए जा सकेंगे। डाउनलोड निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा मूल्य रुपये 500/- का डिमांड ड्राफ्ट अलग से संलग्न करना होगा। सीलबंद निविदाएँ दिनांक 18.12.2017 को सायं 5 बजे तक भारत भवन कार्यालय में जमा की जा सकेंगी। निविदा की विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र में अंकित हैं।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे प्रथम लिफाफे में रखें)

भारत भवन, भोपाल

1

दैनिक एवं मासिक आधार पर किराए से टैक्सी वाहन प्रदाय हेतु निविदा प्रपत्र
(तकनीकी पक्ष)
निविदा प्रस्तुतकर्ता ट्रेवल एजेंसी के सम्बन्ध में जानकारी

1. ट्रेवल एजेंसी का नाम व पता : _____

फोन नम्बर
मोबाइल नम्बर
2. ट्रेवल एजेंसी के मालिक का नाम : _____
3. ट्रेवल एजेंसी का पंजीयन क्रमांक : _____
4. ट्रेवल एजेंसी का R.T.O. पंजीयन क्रमांक: _____
5. ट्रेवल एजेंसी का आबकारी विभाग
का पंजीयन क्रमांक : _____
6. ट्रेवल एजेंसी का पेनकार्ड नम्बर : _____
7. ट्रेवल एजेंसी का जी.एस.टी. क्रमांक : _____
8. धरोहर राशि रुपये 25000/- का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....
दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम
9. ऑनलाइन डाउनलोड किए जाने पर निविदा प्रपत्र के मूल्य रु. 500
का अतिरिक्त बैंक ड्राफ्ट क्रमांक..... दिनांक
जारीकर्ता बैंक का नाम

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम _____

ट्रेवल्स एजेंसी की सील.....

वाहन किराये पर प्रदाय हेतु शर्तें

2

1. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं कभी भी दरें निरस्त करने का अधिकार एवं दस्तावेजों की प्रामाणिकता तथा पर्याप्तता के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय/विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय का अधिकार न्यासी सचिव, भारत भवन, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा व सर्वमान्य होगा।
2. निविदा प्रपत्र भारत भवन, न्यास, शामला हिल्स, भोपाल कार्यालय में रूपये 500/- (वापसी योग्य नहीं) नगद जमा कर निविदा प्रकाशन की तिथि से कार्यालय दिवसों में 15.12.2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक क्रय किये जा सकेंगे। वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य रूपये 500/- का अलग से डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदाएं दिनांक 18.12.2017 अपराह्न 5.00 बजे तक भारत भवन कार्यालय में जमा की जा सकेंगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 19.12.2017 को अपराह्न 3.00 बजे भारत भवन, भोपाल में निर्धारित समिति के समक्ष खोली जायेंगी। इस अवसर पर इच्छुक निविदाकार उपस्थित रह सकेंगे। यदि निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस हेतु स्वतः बढ़ जायेगी।
3. प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये मात्र की धरोहर राशि (अमानत राशि) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से **"भारत भवन न्यास"** के नाम से जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा की जाना है। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। जिन निविदाकर्ताओं की दरें मान्य की जायेंगी उनकी धरोहर राशि अनुबन्ध समाप्त होने के उपरांत ही वापस की जावेगी तथा जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। कार्यदेश जारी होने के पश्चात् निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि राजसात की जा सकती है। जिन निविदाकर्ताओं की निविदा मान्य नहीं होगी उनकी धरोहर राशि दरें मान्य करने संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त ही वापस की जावेगी।
4. निविदाकार का पिछले 2 वर्ष की अवधि का टर्न-ओवर न्यूनतम 50 लाख प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है। (बैंक स्टेटमेंट या बैंक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें)
5. निविदा प्रपत्र दो सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किये जावें। प्रथम लिफाफा (तकनीकी पक्ष) समस्त संलग्नकों, धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट का होगा तथा द्वितीय लिफाफा (वित्तीय पक्ष) दर पत्रक का होगा। फटे एवं खुले हुए लिफाफे स्वीकार नहीं किये जावेंगे। संबंधित तकनीकी पक्ष के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से **'प्रथम लिफाफा निविदा तकनीकी पक्ष'** तथा दरों वाले लिफाफे में **'द्वितीय लिफाफा (वित्तीय पक्ष)'** लिखा हुआ होना आवश्यक है। उक्त दोनों सीलबंद लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सीलबंद किए जाने होंगे। निविदा भारत भवन न्यास, भोपाल को प्रस्तुत की जावेगी एवं लिफाफों पर निविदाकर्ता का पूरा नाम एवं पता भी लिखा जावेगा।
6. समिति सर्वप्रथम निविदाकारों के प्रथम लिफाफे (तकनीकी पक्ष) को खोलेगी। तकनीकी पक्ष की सभी शर्तों व संलग्नकों की पूर्ति होने पर प्रतिस्पर्धा हेतु पात्र पाये जाने की स्थिति में निविदा दाता के द्वितीय लिफाफे (वित्तीय पक्ष) को निविदा समिति द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर खोला जायेगा। जिस निविदा दाता के तकनीकी पक्ष में निविदा शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका द्वितीय लिफाफा (वित्तीय पक्ष) निविदा में शामिल नहीं किया जावेगा।
7. किसी एजेंसी की वाहनों की दरें सम्यक रूप से न्यूनतम नहीं पाई जाने की स्थिति में निविदा समिति गुणदोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
8. निविदा प्रपत्र स्वच्छ एवं सुवाच्य अक्षरों से भरा जावे। अभिलेखों में ओवर राइटिंग तथा काट-छाँट नहीं होना चाहिए।
9. वाहन के डीजल/पेट्रोल संधारण होने वाली टूट-फूट, बैटरी, टायर-ट्यूब लुब्रीकेण्ट्स आदि के व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
10. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में स्टेपनी, चारों पहियों के टायर-ट्यूब व मायलोमीटर उत्तम एवं चालू हालत में होने की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।

11. वाहन प्रदाता, वाहन, मय वाहन चालक के उपलब्ध करायेगा। वाहन चालक के पास नियमानुसार वैध ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है। वाहन चालक का वेतन दैनिक/मासिक एवं अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक यात्रा भत्ता, रात्रि विश्राम भत्ता शामिल है, वाहन प्रदाता स्वयं वहन करेगा जो श्रम अधिनियम के प्रावधान के तहत होगा और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता एजेंसी की होगी।
12. वाहन चालक को वाहन के पंजीकरण, बीमा रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेंस सम्बन्धी मूल कागजात हमेशा वाहन में रखना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित निविदाकर्ता एजेंसी/वाहन चालक उसके लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्च वाहन प्रदाता ही वहन करेगा। भारत भवन को इससे कोई लेना-देना नहीं होगा।
13. वाहन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरूप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी भी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
14. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में संबंधित एजेंसी द्वारा तत्काल दूसरा उपलब्ध कराना होगा। वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया भुगतान नहीं किया जावेगा। खराब वाहन को उचित गन्तव्य स्थान तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता/वाहन चालक को होगा। इसके लिए वाहन उपयोगकर्ता कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करेगा।
15. वाहन प्रदाता यदि अनुबंधित वाहन किसी कारणवश वापस चाहता है तो उस अवधि के लिए उसी स्तर के अन्य वाहन की व्यवस्था उपयोगकर्ता अधिकारी के लिए वाहन प्रदाता को करना होगी। अन्य वाहन की व्यवस्था न करने पर अन्तर की राशि वाहन प्रदाता को देय राशि से समायोजित कर ली जावेगी।
16. वाहन प्रदाता द्वारा उपयोगकर्ता अधिकारी को अनुबंध अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। अनुबंध अनुसार लगातार तीन दिवस तक वाहन प्रदाय नहीं किये जाने एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि भारत भवन द्वारा जप्त कर ली जावेगी।
17. **वाहन चालक द्वारा सम्बन्धित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण दैनिक लॉग-बुक में दर्ज कराना अनिवार्य होगा।**
18. मायलोमीटर की गड़बड़ी या अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाई जाने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा।
19. स्वीकृत निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा और किराए पर लिए गए वाहनों के देयकों का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। यदि वित्तीय अथवा अन्य किन्हीं कारणों से भुगतान में विलम्ब होता है तो इसके लिए कोई ब्याज अथवा शुल्क नहीं दिया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
20. मासिक एवं दैनिक आधार पर वाहनों के लिए प्रस्तुत दरें स्वीकृति दिनांक से 2 (दो) वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होंगी परन्तु सेवाएँ संतोषजनक न होने एवं वित्तीय अथवा प्रशासनिक कारणों से उक्त दरें कभी भी निरस्त की जा सकेंगी। विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से उपरोक्त अवधि में अधिकतम 6 माह की वृद्धि की जा सकेंगी।
21. **भारत भवन का कार्य आवश्यकतानुसार 24 घण्टे चलता है और अवकाश के दिनों में भी नियमित कार्य होता है अतः सफल निविदाकर्ताओं को भारत भवन की आवश्यकता अनुसार महीने के प्रत्येक दिन और 24 घण्टे के लिए भी वाहन उपलब्ध करवाना होगा। 24 घण्टे/250 किलोमीटर वर्ग में स्वीकृत दरों में नाइट चार्ज नहीं दिया जायेगा।**

22. निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर निविदाकर्ता द्वारा सील एवं हस्ताक्षर करना होंगे।
23. भारत भवन द्वारा दैनिक एवं मासिक आधार पर वाहनों की दरें मान्य की जायेंगी तथा आवश्यकता होने पर ही वाहन किराये पर मँगाए जायेंगे अन्यथा नहीं।
24. सफल निविदाकर्ता द्वारा जनवरी 2015 के पश्चात क्रय किए गए एवं उत्तम स्थिति के वाहन ही भारत भवन को किराये पर उपलब्ध कराने होंगे। भारत भवन द्वारा निरीक्षण करने पर यदि इससे पूर्व के वाहन उपलब्ध कराना पाया गया तो ऐसे वाहनों के देयकों का भुगतान रोका जा सकता है।
25. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को मान्य या अमान्य करने एवं स्वीकृत दरें कभी भी निरस्त करने का अधिकार न्यासी सचिव, भारत भवन के पास सुरक्षित रहेगा।
26. प्रस्तुत निविदा प्रपत्र दरें स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार और भारत भवन के मध्य अनुबंध पत्र मान्य किया जायेगा।
27. **निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज स्वप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है:-**
 1. आर.टी.ओ. से पंजीकृत ट्रेवल्स एजेन्सी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 2. ट्रेवल्स एजेन्सी के गुमास्ता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 3. निविदाकर्ता का स्थायी आयकर नम्बर (पैन नम्बर) की छायाप्रति।
 4. ट्रेवल्स एजेन्सी का जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 5. जनवरी 2015 के पश्चात क्रय किए गए न्यूनतम समकक्ष 05 वाहनों के ट्रेवल्स एजेन्सी व प्रोपराईटर के नाम से पंजीकृत होने अथवा ट्रेवल एजेन्सी से अनुबंधित होने सम्बन्धी दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ।
 6. वाहनों का मध्यप्रदेश राज्य का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं वैध परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ।
 7. वाहनों के बीमा संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ।
 8. टैक्सी परमिट में रजिस्ट्रेशन एवं सर्टिफिकेट की छायाप्रति।
 9. विगत दो वर्षों का टर्न-ओवर न्यूनतम 50 लाख प्रतिवर्ष होने संबंधी बैंक स्टेटमेन्ट या बैंक का प्रमाण-पत्र।
 10. विगत दो वर्षों का टर्न ओवर के अनुसार जमा टैक्स रिटर्न की प्रति।
 11. 'भारत भवन न्यास, भोपाल' के नाम से देय रु. 25,000/- धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट।

मैंने उक्त बिन्दु क्रमांक-01 से 27 में अंकित शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लिया गया है तथा मैं उक्त शर्तों पर भारत भवन को वाहन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हूँ।

दिनांक:

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

ट्रेवल एजेन्सी का नाम और पता _____

हस्ताक्षरकर्ता का नाम _____

फोन नम्बर.....

मोबाइल नम्बर.....

ट्रेवल एजेन्सी की सील

भारत भवन

निविदा बिड (वित्तीय पक्ष) (वर्ष 2017-18)

दैनिक आधार पर वाहनों की दरें

S.N.	Vehicles Make		Per day (24 Hrs) 250 kms	Railway Station up & Down 30 Kms/ 3 Hrs.	Airport up & Down 40 Kms/ 4Hrs.	8 Hrs/ 80 Kms			
						Rates	Extra per hrs	Extra per kms	Night Hault Charges
1.	Tata Indica	A/c							
		Non A/c							
2.	Tavera	A/c							
		Non A/c							
3.	Scarpio	A/c							
		Non A/c							
4.	Innova	A/c							
		Non A/c							
5.	Indigo	A/c							
		Non A/c							
6.	Swift Dzire	A/c							
		Non A/c							
7.	Safari	A/c							
		Non A/c							
8.	Tempo Traveller 12/14 Seater	A/c							
		Non A/c							
9.	Bus 35 Seater	A/c							
		Non A/c							

भारत भवन की निविदा शर्तों के अनुसार भारत भवन को उक्त दरों पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए हम सहमत हैं।

स्थान:

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम

ट्रेवल एजेंसी का नाम.....

मोबाइल नम्बर

सील

(इसे द्वितीय लिफाफे में रखें)

निविदा बिड (वित्तीय पक्ष)' (वर्ष 2017-18)

2

प्रतिमाह के आधार पर वाहनों की दरें

S.N.	Vehicle		2000 KMS	3000 KMS	4000 KMS
1.	Tata Indica	AC			
		Non AC			
2.	Innova	AC			
		Non AC			
3.	Tavera	AC			
		Non AC			
4.	Scarpio	A/c			
		Non A/c			
5.	Swift Dzire	A/c			
		Non A/c			
6.	Indigo	A/c			
		Non A/c			
7.	Safari	A/c			
		Non A/c			

भारत भवन की निविदा शर्तों के अनुसार भारत भवन को उक्त दरों पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए हम सहमत हैं।

स्थान:

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम

ट्रेवल एजेंसी का नाम.....

मोबाइल नम्बर

सील